मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 18.05.15 से 21.05.15 तक (अपराह 5.00 बजे तक)

राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक

भविष्य के बाजार में बने आप भी भागीदार

भव्य नीलामी माह मई–2015

प्राप्त मोहरबन्द प्रस्ताव के खोलने की दिनांक 22.05.15 (प्रातः 11.30 बजे)

बनास विहार आवासीय योजना, टोंक

प्रारंभ तिथि **18.05.2015** नीलामी तिथि/मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि **21.05.2015** समय सांय **05:00** बजे तक

मोहरबन्द प्रस्ताव खोलने की तिथि **22.05.2015** समय प्रातः **11:30** बजे

स्थान कार्यालय परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ),राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक

क्र. सं.	रिहायशी /व्यावसायिक भूखण्ड संख्या		भूखण्ड का माप वर्ग मीटर	न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रति वर्ग मीटर /प्रत्येक	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि रूपये	आरक्षित वर्ग
(अ) रिहायशी भूखण्ड बनास विहार योजना, टोंक						
1	3/71 B	EWS	42.187	15000.00	31640.00	
2	3/71 C	EWS	50.625	15000.00	37970.00	
3	3/276	EWS	42.187	15000.00	31640.00	
(ब) निर्मित आवास बनास विहार योजना, टोंक						
1	4/96	EWS	42.187	750000.00	37500.00	
2	3/249	EWS	43.31	600000.00	30000.00	
(स) व्यवसायिक भूखण्ड, बनास विहार योजना, टोंक						
1	S-63	Ordinary	13.50	46000.00	31050.00	
(द) निर्मित दुकानें, बनास विहार योजना, टोंक						
1	3/4	Ordinary	3.30x3.0	506000.00	25300.00	SC
2	3/5	Ordinary	3.30x3.0	506000.00	25300.00	
3	3/6	Ordinary	3.30x3.0	506000.00	25300.00	
4	3/7	Ordinary	3.30x3.0	506000.00	25300.00	
5	3/8	Ordinary	3.30x3.0	506000.00	25300.00	
6	3/9	Corner	3.30x3.0	506000.00	25300.00	

– : सम्पर्क सूत्र :–

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–तेरह,
राजस्थान आवासन मण्डल,
सैक्टर–4, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर
9828127727

परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ),
राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक
9983993924

– : निविदा प्राप्ति अधिकारी : –

परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ),
राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक
9983993924

निर्धारित प्रारूप

आवेदक का फोटो

1. बिडदाता का नाम..
2. पिता/पति का नाम ....
3. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति....................
   (अ0जा/ज0जा0 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4.पता..

प्रमाण संलग्न करें।

5. आयकर का पेन नम्बर ....
   (पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. दूरभाष ....मोबाईल न0..
7. अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण

(अ) योजना का नाम बनास विहार, टोंक सेक्टर ....

(ब) निर्मित आवास /आवासीय भूखण्ड / वाणिज्यिक भूखण्ड/निर्मित दुकान............ .... (जिसके लिए मोहरबन्द निविदा प्रेषित की जा रही है)

(स) भूखण्ड का माप ....

8. निविदाता द्वारा लगाई गई बोली राशि रू. ....प्रति व.मी./ प्रत्येक 9. न्यूनतम बिड अनुसार अमानत राशि रू.......................... की डी.डी. / बैंकर चैक संख्या .... दिनांक.......................... जारी कर्ता बैंक का नाम .... संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप</u>

1) भूखण्ड का विवरण :
   (अ)योजना का नाम **बनास विहार टोंक** सैक्टर......
   (ब) आवासीय भूखण्ड/ निर्मित आवास /वाणिज्यिक भूखण्ड/निर्मित दुकान संख्या...........
2) बिड दाता का नाम :...
   ....
3) श्रेणी–सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति :.........
4) संलग्न अमानत राशि रूपये..
   (डी0डी0/बैंकर चैक) संख्या...............दिनांक............ जारीकर्ता बैंक का नाम...............................
5) मुहरबंद बिड खोलने की निर्धारित तिथि :................

बिडदाता के हस्ताक्षर

<u>नीलामी की शर्ते :–</u>

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रू. 10 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रू. 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोली दाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जप्त कर ली जावेगी ओर बोली स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि / समय के पश्चात प्राप्त हुए मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नही किया जावेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर / राशि में अन्तर होने पर शब्दों में उल्लेखित बिड दर / राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस सम्बन्ध में कोई वाद / विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड/ व्यावसायिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन "जहॉ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।
9. आवासीय भूखण्ड/ व्यावसायिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अन्तिम होगा एवं तदानुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मोहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश कमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
13. बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तो में समय समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होगें।
14. नीलामी के संबंध में विस्तृत शर्ते एवं विवरण मेरे द्वारा मण्डल की वेबसाइट www.rajasthanhousingboard.raj.govt.in से प्राप्त कर ली गई है।

15. आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्ग मीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरित यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एक मुश्त कीमत बिड में भरी जाती है तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एक मुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्ग मीटर दर निकाली जायेगी।

16. सीलबन्द निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जायेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी, जिस पर अन्तिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।

17. खुली बोली न्यूनतम 100/— रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबंद निविदा पर लागू नहीं होगी।

18. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होगें।

मुहरबंद प्रस्ताव भेजने की प्रकिया :— 1. नीलामी में सम्पत्ति कय करने के इच्छुक केता अपने प्रस्ताव कय राशि दर्शाते हुए मुहरबंद निर्धारित प्रपत्र में भरकर बंद कर लिफाफे में संबंधित कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस सम्पत्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना एवं प्रस्ताव प्रपत्र पर आवेदन कर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो लगाया जाना आवश्यक है। 2. क्रेता को उपरोक्त सारिणी में वर्णित अमानत राशि का ड्राफ्ट जो **"राजस्थान आवासन मण्डल" , टोंक के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।**

उद्घोषणा

मैं/हम .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. बिडदाता आवासीय भूखण्ड /निर्मित आवास /वाणिज्यिक भूखण्ड/ निर्मित दुकान संख्या......................... योजना बनास विहार, टोंक सैक्टर.....................घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मैने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी संबंधी नियमों/विनियमों/शर्तों एवं उनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप , मुझे / हमे नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस संबंध में मैं/हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास/वाणिज्यिक भूखण्ड/निर्मित दुकान संख्या .... योजना बनास विहार, टोंक सैक्टर......के लिए अपनी/हमारी बिड दर रूपये (अंकों में)............................ (शब्दों में रूपये..) प्रति वर्ग मीटर/प्रत्येक प्रस्तुत करता/करती/करते हैं। (जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर बोलीदाता